**न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर**

**अपील भरण पोषण प्रकरण संख्या 01/2024(GCMS No. 2024/46)**

1. **जसवीर सिंह पुत्र श्री बलवन्त सिंह** उम्र 45 वर्ष जाति रामगढ़िया निवासी वीपीओ–5 जी छोटी सहारणवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर
2. **बलविन्द्र सिंह पुत्र श्री बलवन्त** सिंह उम्र 43 वर्ष जाति रामगढ़िया निवासी वीपीओ–5 जी छोटी सहारणवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर
3. **कुलविन्द्र सिंह पुत्र श्री बलवन्त सिंह** उम्र 45 वर्ष जाति रामगढ़िया निवासी वीपीओ–5 जी छोटी सहारणवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर
4. **मनजीत कौर पुत्री बलवन्त सिंह** पत्नी इकबाल सिंह उम्र 50 वर्ष जाति रामगढ़िया निवासी गांव बाघेवाला तहसील व जिला फाजिल्का (पंजाब)
5. **जसविन्द्र कौर पुत्री बलवन्त सिंह** पत्नी अंग्रेज सिंह उम्र करीब 45 वर्ष जाति रामगढ़िया निवासी गांव बिशनुपरा तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर

**बनाम**

1. **बलवन्त सिंह पुत्र श्री उजागर सिंह** उम्र करीबन 67 वर्ष जाति रामगढ़िया निवासी वीपीओ–5 जी छोटी सहारणवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर हाल निवासी म.नं. 2 सी–11 यूआईटी कॉलोनी, पदमपुर रोड़, श्रीगंगानगर
2. **राजविन्द्र सिंह पुत्र बलवन्त सिंह** निवासी मकान नम्बर 02 सी–11 यूआईटी कॉलोनी पदमपुर रोड़, श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

**10.06.2024**

**पत्रावली पेश हुई।** अपीलार्थीगण के अधिवक्ता श्री इन्द्रजीत बिश्नोई उपस्थित हुए। उन्हें सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

**अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने कथन किया कि** अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 20.12.2023 को अप्रार्थी बलवंत सिंह का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपीलांट संख्या –1 ता 3 को 3000/– रूपये मासिक यानि कुल 9000/– रूपये प्रतिमाह प्रत्यर्थी संख्या–1 को अदा करने का एवं अपीलांट संख्या 4 ता 5 को प्रार्थी व

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

प्रार्थी की पत्नी को तंग परेशान करने से निषेद्ध रहने का आदेश पारित किया गया है।

**उनका आगे यह भी कथन है कि** अप्रार्थी /अपीलांट संख्या 1 ता 5 ने माननीय अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 20.12.2023 को परित आदेश के विरूद्ध माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में अपने अधिवक्ता को सम्बन्धित दस्तावेज उपलब्ध करवा दिये थे, परन्तु उनके द्वारा उक्त आदेश के विरूद्ध अपील श्रीमान्जी के न्यायालय के क्षेत्राधिकार की जानकारी मिली, इसलिए यह अपील श्रीमान्जी के समक्ष प्रस्तुत की है।

**उनका आगे यह भी कथन है कि** न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर द्वारा प्रकरण संख्या 50/2022 अनवान् श्री बलवन्त सिह बनाम जसवीर सिह आदि का धारा 4, 5, 21 एवं 23 माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण अधिनियम 2007 में दिनांक 20.12.2023 में पारित निर्णय को अपास्त किया जाकर, अपीलार्थीगण की अपील स्वीकार करने की प्रार्थना की है।

**यह अपील प्रार्थीगण जसवीर सिंह, बलविन्द्र सिंह, कुलविन्द्र सिंह, मनजीत कौर एवं जसविन्द्र कौर** ने पुत्र/भाई की हैसियत से अपने पिता बलवन्त सिंह पुत्र उजागर सिंह एवं भाई राजविन्द्र सिंह पुत्र बलवन्त सिंह के विरूद्ध पेश की है। माता पिता एवं भरण पोषण अधिनियम 2007 के तहत पुत्र/भाई को अपील पेश करने का कोई अधिकारिता **है अथवा नहीं?** धारा 16(1) निम्न प्रकार से है:

> **धारा 16.**अपील—(1) अधिकरण के आदेश से व्यथित कोई वरिष्ठ नागरिक या माता—पिता, आदेश की तिथि से साठ दिवसों के अंदर, अपील अधिकरण के समक्ष अपील दाखिल कर सकेगा,

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

**परन्तु** अपील पर, सन्तान या सम्बन्धी, जिससे ऐसे भरण– पोषण के आदेश के निबन्धनों में किसी धनराशि का भुगतान करने की अपेक्षा की जाती है, ऐसे माता–पिता को अपील अधिकरण द्वारा निर्देशित ढंग में इस प्रकार आदेशित धनराशि का लगातार भुगतान करता रहेगा:

**परन्तु** यह और कि अपील अधिकरण साठ दिनो की उक्त अवधि के अवसान के पश्चात् अपील को अनुज्ञात कर सकेगा यदि उसे समाधान है कि अपीलार्थी समय सीमा के अन्तर्गत अपील दाखिल करने हेतु पर्याप्त कारण द्वारा निवारित किया गया था।

**जहां तक अपीलार्थी द्वारा संतान की हैसियत से अपील पेश करने का सम्बन्ध है। उक्त धारा 16(1) के अनुसार अधिकरण के आदेश से व्यथित केवल वरिष्ठ नागरिक व माता–पिता के द्वारा ही अपील प्रस्तुत करने का प्रावधान है। किसी संबंधी या संतान को अपील पेश करने का कोई अधिकार नही दिया गया है ।**

**माननीय उच्चतम न्यायालय** के न्यायिक दृष्टान्त 2012 सीआर. एल.आर. (एससी) पेज 726 स्टेट आफ बिहार आदि बनाम अरविन्द कुमार वगैरा के पैरा 13 में निम्न प्रकार से निर्देश दिये गये है:–

**13. In Manish Goel Vs. Rohini Goel, AIR 2010 SC 1099,**

**This Courts has held that generally, no Courts has competence to issue a direction contrary to law nor the court can direct an authority to act in contravention of the statutory provisions. The Courts are meant to enforce the rule of law and not to pass the orders or directions which are contrary to what has been injected by law. [See also- Vice Chancellor, university of Allahabad & Ors.Vs. Dr. Anand prakash Mishra & Ors. (1997) 10 SCC: and Karnataka State Road Transport Corporations Vs. Ashrafulla Khan & Ors.; AIR 2002 SC 629]**

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

माननीय उच्चतम न्यायालय के उक्त न्यायिक दृष्टांत के अनुसार कोई भी न्यायालय/सरकार/अथोरिटी किसी भी प्रभावी कानून के विपरीत जाकर कोई आदेश/निर्देश जारी नहीं कर सकती है। चूंकि धारा 16(1) के अनुसार केवल वरिष्ठ नागरिक या माता–पिता के द्वारा प्रस्तुत अपील को ही इस न्यायालय को सुनने का क्षेत्राधिकार है और किसी संबंधी या संतान को अपील पेश करने की अधिनियम में कोई अधिकारिता नही दी गई है और न ही संतान या संबंधी के रूप में प्रस्तुत की गई किसी अपील पर उक्त अधिनियम 2007 की धारा 16(1) के विपरीत कोई अपील सुनवाई हेतु ग्रहण की जा सकती है।

**इसलिए अपीलार्थीगण ने पुत्र/भाई** के रूप में दिनांक 04.03.2024 को प्रस्तुत की गई यह अपील एडमिशन की स्टेज पर ग्रहण योग्य न होने के कारण, यहां से खारिज की जाती है। अपीलार्थीगण सक्षम न्यायालय में अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर के विरूद्ध कार्यवाही करने के लिए स्वतन्त्र है। आदेश की प्रति अपीलार्थीगण व रेस्पोडेन्ट को भिजवाई जावे। आदेश की एक प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भी भिजवाई जावे। पत्रावली दर्ज होकर नम्बर से कम हो।

**यह** आदेश आज दिनांक 10.06.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(लोक बंधु)
जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर